संख्या: 02 / 2021/1115/तीस-1-2019

प्रेषक,

डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक: 08 जनवरी, 2021

विषय: जनपद-बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर में रोडवेज बस स्टेशन का निर्माण कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-33बी/डीए/प0/2020, दिनांक 13.01.2020 एवं पत्र संख्या-242बी/डीए/प0/20, दिनांक 02.06.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर में बस स्टेशन के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को नामित कार्यदायी संस्था द्वारा रू0 183.78 लाख की धनराशि का प्रारम्भिक आगणन पर सहमति उपलब्ध करायी गयी। प्रश्नगत परियोजना रू0 5.00 करोड़ से कम होने के दृष्टिगत परियोजना के प्रस्तावों का मूल्याकंन (अप्रेजल) एवं उनके औचित्य का परीक्षण करने हेतु परिवहनअनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1637/तीस-1-2019, दिनांक 31.12.2019 द्वारा परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम (जो भी अधिकारी वरिष्ठ हो) की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। प्रारम्भिक आगणन रू0 183.78 लाख के सापेक्ष उक्त समिति की बैठक दिनांक 06.01.2020 द्वारा मूल्यांकन एवं उसके औचित्य का परीक्षण करने के उपरान्त रू0 183.78 लाख का मूल्यांकन किया गया है।

2- प्रश्नगत निर्माण कार्य जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर में बस स्टेशन के निर्माण कराये जाने हेतु कुल लागत रू0 183.78 लाख (रूपये एक करोड़ तिरासी लाख अठहत्तर हजार मात्र जी0एस0टी0 सहित) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2020-2021 में व्यय हेतु 50 प्रतिशत के समतुल्य प्रथम किश्त के रूप में रू0 91.89 लाख (रूपये इक्यान्नवे लाख नवासी हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) प्रश्नगत कार्य कराये जाने हेतु यू0पी0 स्टेट कान्सट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट कारपोरेशन लि0 (यू0पी0 सिडको) को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। उक्त कार्यदायी संस्था से उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा नियमित अनुश्रवण करके प्रश्नगत कार्य समयान्तर्गत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(3) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे भी परिवहन निगम द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) परिवहन निगम द्वारा योजना की गाइड लाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(8) परिवहन निगम द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य ससमय पूर्ण करा लिया जायेगा, ताकि विलम्ब की दशा में अतिरिक्त धनराशि की मॉग न की जाये।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(9) परिवहन निगम द्वारा प्रथम किश्त व्यय होने एवं अगली किश्त मांगने के पूर्व उपयोग प्रमाण-पत्र स्वच्छ तथा तथ्यात्मक रूप से शासन को भेजना सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ परिवहन निगम का होगा।

(11) प्रश्नगत निर्माण कार्य में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(12) कार्यदायी संस्था द्वारा निर्धारित समय में तथा उत्कृष्ट श्रेणी की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराये जाने तथा कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किसी भी दशा में कार्यो की लागत में कोई पुनरीक्षत न किये जाने के संबंध में अनुबन्ध अनिवार्य रूप से निष्पादित करा लिया जाय।

(13) निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियां, मानक, गुणवत्ता एवं समयबद्धता अवश्य सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था तथा उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम का होगा ।

(14) उक्त धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त किया जायेगा ।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-43 के लेखाशीर्ष 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-03 उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में अंशपूंजी विनियोजन-30-निवेश/ऋण के नामें डाला जाएगा।

4- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 के अशा0 संख्या-1191/दस/2020, दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0
डॉ0 अखिलेश कुमार मिश्रा
विशेष सचिव ।

संख्या: : 02 / 2021/1115(1)/तीस-1-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ ।
5. निदेशक, यू0पी0 स्टेट कन्सट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ ।
6. वित्त नियन्त्रक, परिवहन आयुक्त, कार्यालय लखनऊ ।
7. वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ ।
8. वित्त नियन्त्रक, यू0पी0 स्टेट कन्सट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ ।
9. नियोजन अनुभाग-4 ।
9. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9/परिवहन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन ।
10. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
11. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
ह0
विनोद कुमार
संयुक्त सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।